मंडल कार्यालय आदेश 14/2025

Date - 27.05.2025

L .N.393-W/M-/Instruction/0/Vol-III

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक
एवं मुख्य क्रू नियंत्रक, जोधपुर एवं मेडतारोड
समस्त लोको पायलट, लोको पायलट शंटर एवम सहायक लोको पायलट

विषय: लोकों पायलट/सहायक लोको पायलट द्वारा किए जाने वाले लेखन कार्य में कमी हेतु समिति की अनुशंसाएँ

संदर्भ - 1. RB L.no - Dir. Elect. Engg. (RS) RB,s letter No. 2025/Elect(TRS)/113/5 (Committee paper work) dated 01.05.2025

2. HQ Letter no. M/Mech/D&R/140/2/Accident dated 23.05.25

उपरोक्त विषय और संदर्भित पत्र की अनुपालना के तहत सभी मुख्य लोको निरीक्षक अपने नामित व अन्य रनिंग स्टाफ को निम्न बिन्दुओ पर काउन्सलिंग करे तथा अनुपालना रिपोर्ट मण्डल कार्यालय में जमा करवाए ।

1. यात्रा के दौरान लेखन कार्य:

- लोको पायलट (LP): ट्रेन परिचालन के दौरान क्रू डायरी/लॉग बुक में कोई लेखन कार्य नहीं किया जाएगा।
- सहायक लोको पायलट (ALP): केवल नीचे बिंदु 2 में दिए अनुसार सीमित लेखन कार्य किया जाएगा।
- EMU/MEMU/DEMU: मोटरमैन (LPP) द्वारा क्रू डायरी में कोई लेखन कार्य नहीं किया जाएगा।

2. ALP द्वारा दर्ज की जाने वाली जानकारियाँ:

(i) ट्रेन प्रस्थान से पूर्व:

- लोको, ट्रेन एवं क्रू विवरण
- गुड्स ट्रेन में ब्रेक पावर प्रमाणपत्र (BPC) की जानकारी। कोचिंग ट्रेनों में केवल BPC की वैधता की जाँच।
- TSR (Caution Order) विवरण – चालक दल के विवेक अनुसार यदि आवश्यक लगे तो पूर्व में दर्ज किया जा सकता है।
- कंटिन्यूटी टेस्ट व RS वाल्व चेकिंग विवरण – यदि कोई असामान्यता हो तो उसे लोको लॉग बुक में दर्ज किया जाए।
- निर्धारित ठहराव एवं समय (केवल कोचिंग ट्रेनों के लिए)

(ii) यात्रा के दौरान अन्य टिप्पणियाँ:

- BFT/BPT के लिए – केवल ✓ (टिक) चिह्न आवश्यक, समय दर्ज करने की आवश्यकता नहीं।
- ठहराव स्टेशनों पर वास्तविक समय (केवल कोचिंग सेवाओं में), स्टॉप के बाद और प्रस्थान से पूर्व दर्ज किया जाए।
- मार्ग में आने वाली कोई असामान्यता (लोको दोष सहित) एवं असामान्य विलंब को क्रू डायरी/लॉग बुक में दर्ज किया जाए – जब ट्रेन खड़ी हो।

(iii) क्रू डायरी / रफ जर्नल प्रारूप: परिशिष्ट-I के अनुसार (सलग्न)

(iv) लोको लॉग बुक प्रारूप: परिशिष्ट-II के अनुसार (सलग्न)

3. CMS में ऊर्जा मीटर रीडिंग्स:

अब चालक दल द्वारा ऊर्जा खपत एवं पुनरुत्पादन रीडिंग्स को CMS में मैन्युअली दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

4. क्रू डायरी की रख-रखाव अवधि (Retention Period):

क्रू डायरी को सामान्य स्थिति में 1 वर्ष तक रखा जाएगा। हालांकि, दुर्घटना/जांच के मामलों में, इसे अंतिम निपटान तक सुरक्षित रखा जाएगा।

सलंगन - संदर्भित पत्र

वरि. मंडल यांत्रिक इंजी. (Enhm&P)
उ.प. रेलवे, जोधपुर

प्रतिलिपि- अपर मंडल रेल प्रबन्धक, सादर सूचनार्थ
स.म.या.इंजी. (शक्ति), आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ